तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 40/2023 जीसीएमएस : 2023/83 वीर सिंह बनाम तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
09.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/484 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पाईलाईन डालने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया। राजपैरोकार अपनी बहस में राज्यहित को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के नाम से चक 11 एसडी तहसील सूरतगढ़ की भूमि मु. नं. 39 कि.नं. 1/2, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 कुल 2.504है. में मुश्तरका खाता में दर्ज प्रार्थी की भूमि चक 11 एसडी मु.नं. 7 प.नं. 108/389 में स्थापित ट्युबवैल से पानी लाने हेतु तहसील श्रीविजयनगर के चक 52 पीबीएन प.नं. 108/386, 108/387, 108/388 प्रत्येक कि.नं. 5,6,15,16,25 में स्वीकृत शुदा रास्ता के मध्य से भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 52 पीबीएन मु.नं. 108/386, 108/387, 108/388 का रकबा केन्द्रीय फार्म के नाम से है तथा उक्त तीनों मुरब्बों में कि.नं. 5,6,15,16,25 में प्रत्येक में 0.038है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत है। प्रार्थी रास्ता के रकबा में से भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि चक 11 एसडी मु.नं. 39 कि.नं. 1/2, 2 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 9, 12 कुल 2.504है. की भूमि प्रार्थी के नाम से है परन्तु राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी प्रस्तुत नहीं गयी है। रिपोर्ट के संलग्न नक्शा का अवलोकन किया। जिस अनुसार प्रार्थी द्वारा चक 52 पीबीएन मु. नं. 108/386, 108/387, 108/388 कि.नं. 5,6,15,16,25 में भूमिगत पाईपलाईन अपनी संयुक्त खाता की चक 11 एसडी मु.नं. 7 की भूमि में लगे ट्यूबवैल तक बिछाने हेतु अनुमति चाही है लेकिन नक्शा अनुसार व जमाबंदी अनुसार कि.नं. 5 व 6 प्रार्थी के नाम से अथवा सहखातेदारी में नहीं है अन्य खातेदारान के नाम से है। ऐसे में चक 52 पीबीएन मु.नं. 108/386, 108/387, 108/388 कि.नं. 5,6,15,16,25 जिनमें से पाईपलाईन डालने की अपेक्षा की गयी है, प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज चक 11 एसडी मु.नं. 7 की भूमि से प्रत्यक्षतः सम्पर्क में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पाईपलाईन डालने की स्वीकृति जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश [illegible] पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:51:40 IST Reason: SelfAttested शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	